# उत्तर प्रदेश शासन

## पशुधन अनुभाग-1

संख्या-72/2017/2502/37-1-2017-08(113/97टी0सी0-2

लखनऊः दिनांक 19 दिसम्बर, 2017

**<u>कार्यालय-आदेश</u>**

शासन के कार्यालय आदेश संख्या-14/2017/613/37-1-2017-8(113)/97टी0सी0-2, दिनांक 20-6-2017 द्वारा उत्तर प्रदेश गो-सेवा अधिनियम, 1999 (यथा संशोधित) के प्राविधानों के अन्तर्गत श्री राजीव गुप्ता, आई0ए0एस0 (सेवानिवृत्त), निवासी- ए0बी0-87, शाहजहां रोड, नई दिल्ली- 110011 को उत्तर प्रदेश गो-सेवा आयोग का सदस्य एवं अध्यक्ष नामित किया गया है। अग्रेतर शासन के कार्यालय आदेश संख्या 27/2017/1516/37-1-2017-8(113)/97टी0सी0-2, दिनांक 28-7-2017 द्वारा श्री गुप्ता, अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश गो-सेवा आयोग को मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के स्तर का दर्जा प्रदान किया गया है। उत्तर प्रदेश गो-सेवा अधिनियम, 1999 (यथा संशोधित) की धारा- 5(2) सपठित वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-4/जी-2-144/दस-2014-1(विविध)/दस-2014, दिनांक 15-12-2014 में विद्यमान व्यवस्था के अनुसार श्री राजीव गुप्ता, अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश गो-सेवा आयोग को निम्नलिखित भत्ते एवं सुविधायें प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1- श्री राजीव गुप्ता, अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश गो-सेवा आयोग को भत्ते/मानदेय के रूप में रू0 40,000/- (रूपये चालीस हजार मात्र) प्रतिमाह की धनराशि अनुमन्य होगी, जिस पर कोई मँहगाई भत्ता देय नहीं होगा। भत्ते के रूप में प्राप्त उक्त धनराशि का सम्बन्ध उन्हें प्राप्त होने वाली पेंशन से नहीं होगा।

2- श्री गुप्ता को रू0 10,000/- (रूपये दस हजार मात्र) प्रतिमाह आवासीय भत्ता अनुमन्य होगा।

3- श्री गुप्ता को बैठकों में भाग लेने हेतु बाहर से आने की दशा में यात्रा भत्ता/ दैनिक भत्ता एवं प्रासंगिक व्यय (इन्सीडेन्टल चार्जेज) उन्हीं दरों पर अनुमन्य होगा, जैसा वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-3 एवं सुसंगत आदेशों में सम्बन्धित संस्था के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के स्तर के सरकारी अधिकारियों के सम्बन्ध में विहित की गयी हो।

4- श्री गुप्ता को टेलीफोन की सुविधा कार्यालय तथा आवास, दोनों स्थानों पर प्रति टेलीफोन अधिकतम रू0 25000/- (रूपये पचीस हजार मात्र) वार्षिक अनुमन्य होगा।

5- श्री गुप्ता को एक वैयक्तिक सहायक एवं दो अनुसेवक की सुविधा अनुमन्य होगी।

6- श्री गुप्ता को प्रदेश सरकार के अधीन कार्यरत समूह- 'क' के अधिकारियों के समान चिकित्सा सुविधा अनुमन्य होगी।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- श्री राजीव गुप्ता, अध्यक्ष को उक्त भत्ते एवं सुविधायें उत्तर प्रदेश गो-सेवा आयोग द्वारा उपलब्ध करायी जायेंगी।

3- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या- 1158/ई-2/2017, दिनांक 17 दिसम्बर, 2017 में पत्रावली में प्रदान की सहमति के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

डा0 सुधीर एम0 बोबडे
प्रमुख सचिव

संख्या-72/2017/2502/(1)/37-1-2017, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2- श्री राजीव गुप्ता, अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश गो-सेवा आयोग, 1004,सातवां तल, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
3- सचिव, गोसेवा आयोग, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
5- निदेशक, रोग नियत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
6- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- गो-सेवा अधिकारी, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
8- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सत्येन्द्र कुमार सिंह
विशेष सचिव

http://shasnadesh.up.nic.com

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।